शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली – 110025
सीआईएनः यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के निम्नवर्णित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से लिया गया स्वर्ण ऋण, उनसे बार बार मांग किए जाने और सूचनाएं, जिसमें बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचनाएं शामिल हैं, जारी किए जाने के बावजूद, समायोजित नहीं किए गए हैं। एतद्द्वारा सभी कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक में प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषण नीलाम करने का निर्णय किया गया है और तदनुसार नीलामी की तिथि 28–03–2024 तथा समय अप. 03.00 बजे नियत किया गया है और नीलामी उस शाखा परिसर में की जाएगी जहां से ऋण प्राप्त किया गया था। कर्जदारों, खाता धारकों सहित सर्वजन और सर्वसाधारण इस नीलामी में नीलामी के नियम एवं शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं। नीलामी **28–03–2024** को अप. **03.00 बजे** से अप. **05.00 बजे** तक **https://egold.auctiontiger.net** पर ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

शाखा	खाता संख्या	खाता धारक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	बकाया राशि
इन्दौर	101042518843	अमित एस खनूजा	पुत्र निरंजन सिंह खनूजा	पानी की टंकी के सामने, 43, द्रविड़ नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452009	10-11-2023	211,032.2
इन्दौर	101042518818	अमित तिवारी	सी/ओ रविशंकर तिवारी	एन 459, सिंगापुर ग्रीन व्यू कालोनी, तलावली चंदा, इन्दौर, मध्य प्रदेश–453771	09-11-2023	23,817.7
इन्दौर	101042519795	अमित तिवारी	सी/ओ रविशंकर तिवारी	एन 459, सिंगापुर ग्रीन व्यू कालोनी, तलावली चंदा, इन्दौर, मध्य प्रदेश–453771	07-02-2024	129,279.2
इन्दौर	101042516880	जितेन्द्र पांचाल	पुत्र प्रवीण पांचाल	337 5 आदर्श इंद्रा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452002	10-07-2023	131,792.8
इन्दौर	101042516361	प्रानिल गिरासे	पुत्र भातेसिंह गिरासे	31 1 श्री हरि नगर कालोनी, महूगांव, इन्दौर, मध्य प्रदेश–453441	12-06-2023	213,246.8
इन्दौर	101041511559	रोहित जैन	पुत्र उमेश जैन	401, उषा नगर एक्स. इन्दौर, मध्य प्रदेश–452009	14-09-2022	124,515.3

नीलामी की तिथि 28-03-2024 @ अप. 03.00 बजे है

बैंक का, कोई पूर्व सूचना दिए बिना, नीलामी से कोई भी खाता हटाने या नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

homefirst – We'll take you home

कब्जा सूचना

संदर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप–नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित इसकी संबंधित तिथियों को जारी की थी, जिसमें आप/निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। आप/सभी कर्जदार, तथापि, उक्त बकाया राशि नियत समय के भीतर चुकाने में असफल रहे हैं, अतः **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित तदधीन नियमों के प्रावधान के तहत उसको प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है :

क्र. सं.	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
1.	साहिल वर्मा, महेश वर्मा, सुमन वर्मा	मकान –7, बिल्डिंग वार्ड नंबर 39, (गंगा बावडी – देवास), सर्वे नंबर 696 पाइकी, पी.एच नंबर 18, वार्ड नंबर 39, गंगा बावड़ी, सीनियर देवास, मध्य प्रदेश–455001	04-07-2023	6,92,999	12-03-2024

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरिवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उपरि संदर्भित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि, जो पूर्ण भुगतान किए जाने तक उस पर आगे ब्याज के साथ देय होगी, के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 15–03–2024 **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीमेन्ट रोड पिपरिया, जिला- नर्मदापुरम् - 461775

मांग सूचना

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता-

1(a). राकेश कुमार साहू पुत्र बट्टूलाल साहू
1(b). सुषमा साहू पत्नि राकेश कुमार साहू

दोनों का पताः नं. 99, आजाद वार्ड पुराना बस स्टेंड के पास, पिपरिया, जिला- नर्मदापुरम म.प्र.- 461775

महोदय,

हमारी देवास शाखा द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक **29.02.2024** को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आप सभी को सूचना पत्र आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया था, जिसमें आपको अपने ऋण में बकाया चुकाने के लिए बुलाया गया था। हमारे द्वारा भेजे पत्र की तामीली नहीं हो सकी, अतः उक्त मांग नोटिस की सामग्री इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।

आपके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को **30.03.2020** को एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया है।

आपने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु ऋण दस्तावेजों को बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया है एवं सुरक्षा हित बनाया है। ऋण सुविधाओं और सुरक्षित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

28.02.2024 को बकाया राशि के साथ क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया ।

कुल बकाया राशि रु. **11,71,329.42** + ब्याज और अन्य शुल्क

सुरक्षित आस्तियाँ

बंधक रखी अचल संपत्तियों का विवरणः

संपत्ति का समस्त भू भाग रिहायशी मकान कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफुट प्लॉट क्षेत्रफल एवं जी+1, मंजिला भवन स्थित खसरा क्रमांक 13/02 का भाग, दूसरे क्रमांक पर वंश होटल के पीछे मुड़ते हुए, सरदार वार्ड, वार्ड नंबर 20, पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम, म.प्र.-461775
संपत्ति मालिकः राकेश कुमार साहू पुत्र बट्टूलाल साहू चर्तुसीमाएंः उत्तर- इस्माइल खान का घर, दक्षिण- गणेशराम साहू का घर, पूर्व- 20' म्युनिसिपल रोड, पश्चिम- 5' चौड़ा नाला

इसलिए, उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में आपको, नंबर 1, उधारकर्ता के रूप में और आप, नंबर 2, गारंटर के रूप में इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि रुपये **11,71,329.42** एवं उस पर भविष्य में देय ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित अदा करने हेतु कहा जाता है। इसका अनुपालन करने में आपकी विफलता पर हम, सुरक्षित ऋणदाता, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे। धारा के संदर्भ में अधिनियम के 13(13) के तहत आप बैंक की पूर्व सहमति के बिना नोटिस प्राप्त होने की तारीख से उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे। कृपया सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर ध्यान दें।

भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी

HDB FINANCIAL SERVICES एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः पहली मंजिल, 102 और 103, स्टर्लिंग आर्केड, प्लॉट संख्या 15/3, रेस कोर्स रोड, इंदौर मध्य प्रदेश, पिनकोड - 452001
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, क्वालिटी बिजनेस सेंटर, प्लॉट नं. 7, जोन-एमपी नगर, मध्य प्रदेश, पिनकोड-462016
शाखा कार्यालयः वार्ड क्रमांक 35, प्रथम तल गोपाल कॉम्प्लेक्स, राजीव नगर विदिशा, मध्य प्रदेश, पिनकोड-464001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह-कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन-देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

(1) **कर्जदार और सह-कर्जदारः** 1. (ए) जयझूलेलाल होजरी निवासी : एफ-18 प्रथम तल जैमिनी टावर कसेरा गली लोहा बाजार भोपाल भोपाल-462001 मध्य प्रदेश (बी) नीता बाई रानी, निवासी म.नं. 48 कपिला नगर करोण डी भोपाल मध्य प्रदेश- 462038 (सी) मुकेश बहारानी निवासी मकान नं. 48 कपिला नगर करोंद भोपाल मध्य प्रदेश- 462010 (डी) हरीश पुत्र जमनादास निवासीः-म.नं. 48 कपिल नगर करोंद भोपाल मध्य प्रदेश- 462038 (2) ऋण खाता संख्याः 20850381. (3) ऋण राशि रुपये मेंः रु.4463964/- (रुपये चालीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ चौसठ मात्र) 20850381. (4) प्रतिभूत बंधक संपत्ति का विस्तृत विवरणः एक दुकान नं. एफ-18 ऊपरी भूतल पर, जेमिनी टावर क्षेत्र की पहली मंजिल, 247 वर्ग फुट, कसेरा गली लोहा बाजार क्षेत्र भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462001 पर स्थित, बिक्री विलेख के अनुसार उल्लिखित सीमाएं संपत्ति - उत्तर-बिल्डिंग का गलियारा, दक्षिण में- एबीसीएचएके, पूर्व-फ्लैट नं. एफ-19, पश्चिम में- फ्लैट नं. एफ-17 एवं बिल्डिंग कॉरिडोर (5) मांग सूचना दिनांकः 20-11-2023 (6) देय राशि रुपये मेंः रु. 4326232.47/- (रुपये तैंतालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ बत्तीस और सैंतालीस पैसे मात्र) 15.11.2023 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ (7) कब्जा तिथिः 13/03/2024

(1) **कर्जदार और सह-कर्जदारः** 1. (ए) न्यू समय इलेक्ट्रॉनिक्स पता म.नं. 12 वार्ड 15 स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा विदिशा-464001 मध्य प्रदेश (बी)राहुलगुप्ता निवासी वार्ड नं. 15 म.नं. 12 स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश- 464001 (सी) रानी गुप्ता निवासी वार्ड नं. 15 म.नं. 12 स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश-464001, (2) ऋण खाता क्रमांकः20341650, (3) ऋण राशि रुपये मेंः रु.3096500/- (रुपये तीस लाख छियानवे हजार पांच सौ मात्र) ऋण खाता संख्या 20341650 द्वारा। (4) प्रतिभूत बंधक संपत्ति का विस्तृत विवरणः पुराना वार्ड नं. 15 नया -23 गुरुनानक वार्ड स्वर्णकार कॉलोनी गली विदिशा, विदिशा, मध्य प्रदेश - 464001 विक्रय पत्र के अनुसार उल्लिखित सीमाएं संपत्ति - उत्तर : छगनलाल का घर और दक्षिण में खुली भूमि - गली 8 फीट चौड़ा तत्पश्चात देवी का घर, पूर्व गली 11 फीट, पश्चिम में राजपूत साहब का प्लॉट (5) मांग सूचना दिनांकः 20-11-2023 (6) देय राशि रुपये मेंः 15.11.2023 तक रु. 3049539.37/- (रुपये तीस लाख उनचास हजार पांच सौ उनतालीस और सैंतीस पैसे मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज (7) कब्जा दिनांकः 13/03/2024

1. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. किसी आपत्ति तथा समायोजन के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री उमेश दिवेदी संपर्क नंबर - 917987971098 (संग्रह प्रबंधक) श्री श्याम तेलंगः संपर्क नंबर 9970061659 (क्षेत्रीय संग्रह प्रबंधक) और श्री गौरव प्रसन्न नायकः संपर्क नंबर 7587748188 (कानूनी सहयोगी) एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)

स्थान : भोपाल (म.प्र.) तिथि : 13.03.2024 **ह./- अधिकृत प्राधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ManiBhavnam Home Finance

अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** एक (यहां इसमें इसके उपरांत **"एमबीएचएफ"** के रूप में संदर्भित), एमबीएचएफ जो कि केंद्रीय शासन द्वारा एक अधिसूचना दिनांकित **17–06–2021** द्वारा विधिवत ढंग से प्राधिकृत है, जिसे "वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" के उद्देश्यों हेतु एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाना है, जिसका पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली – 110049 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक **मांग सूचना दिनांकित 08–दिसंबर–2023** निर्गत की थी, जिसमें

1. बली बाई नाथ पुत्र शंकर नाथ, 2. शंकर नाथ पुत्र हिंदू नाथ, 3. हिंदू नाथ पुत्र गिरधारी लाल, सभी निवासी– ग्राम घुड़ावन, बादनगर रोड, घुड़ावन, उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456222,

को सूचना में अंकित राशि अर्थात् **रु. 1,38,307.25/– (रुपये एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ सात एवं पच्चीस पैसे मात्र) 26–नवंबर–2023** के अनुसार, का लागू ब्याज तथा अन्य शुल्कों के साथ **ऋण संख्या (HL0000000007362)** के माध्यम से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके थे, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **13 मार्च 2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।** उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 1,38,307.25/– (रुपये एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ सात एवं पच्चीस पैसे मात्र)** 26–नवंबर–2023 के अनुसार, की राशि का लागू ब्याज तथा अन्य शुल्कों हेतु "एमबीएचएफ" के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :

मकान सं. 09 के समस्त वह भाग तथा अंश जो पी.एच. नं. 50 पर, कुल क्षेत्रफल 676 वर्ग फुट, ग्राम घुड़ावन, तहसील बादनगर, जनपद उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– **पूर्व–** प्रताप नाथ का घर, **पश्चिम–** रास्ता गली, **उत्तर–** वीरू नाथ का घर, **दक्षिण– रास्ता।**

स्थान : उज्जैन **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13–03–2024 **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

RELIANCE Asset Reconstruction रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.

11वीं मंजिल, उत्तरी साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-400063

प्रतिभूत आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), "आईएनबी आरएआरसी 030 ट्रस्ट" का एक ट्रस्टी, इंडियन बैंक के साथ निष्पादित दिनांक 22 मार्च 2017 के असाइनमेंट समझौते के आधार पर नीचे उल्लिखित कर्जदार का एक समनुदेशिती और एक प्रतिभूत लेनदार है।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी आम तौर पर जनता को नोटिस देते हैं कि नीचे उल्लिखित संपत्ति को बकाया वसूली के लिए 'ऑनलाइन ई-नीलामी' द्वारा संपत्तियों को नीचे उल्लिखित अन्य शर्तों के अलावा कठोरता से **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "आश्रय रहित"** के आधार पर बेचा जाएगा।

कर्जदार/जमानती का नाम	बकाया देयताएं	कब्जे की तिथि
1. मैसर्स अस्वद कंस्ट्रक्शन कंपनी (कर्जदार) कार्यालय : बी 5-6, कोह-ए-फिजा, साफिया कॉलेज गेट 2, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001 2. श्री हरीम इकबाल पुत्र स्वर्गीय श्री एमए मेनन (स्वर्गीय श्री एमए मेनन के साझेदार और कानूनी उत्तराधिकारी), बी 5-6, कोह-ए-फिजा, साफिया कॉलेज गेट 2, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001 3. श्रीमती शगुफ्ता शाहीन पत्नी स्वर्गीय श्री एमए मेनन (साझेदार, गिरवीकर्ता और स्वर्गीय श्री एमए मेनन की कानूनी उत्तराधिकारी) पता, बी 5-6, कोह-ए-फिजा, साफिया कॉलेज गेट 2, भोपाल, म.प्र. - 462001 4. श्री राहिल इकबाल पुत्र स्वर्गीय श्री एमए मेनन (स्वर्गीय श्री एमए मेनन के साझेदार और कानूनी उत्तराधिकारी) पता, बी 5-6, कोह-ए-फिजा, साफिया कॉलेज गेट 2, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001 5. बी.एस. गोइंदी (पार्टनर) पता, एच-4, शालीमार गार्डन, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र. -462042 6. स्वर्गीय सरस्वती देवी परिहार पत्नी श्री सुरेंद्र सिंह परिहार (मृतक, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) (बंधक और गारंटर) घर, सी-492, शाहपुरा, भोपाल, म.प्र. - 462039	रु. 2,92,79,678.63/- (रुपये दो करोड़ बानबे लाख उन्यासी हजार छः सौ अठहत्तर एवं तिरेसठ पैसे मात्र) तिथि 26.02.2024 तक तथा भावी ब्याज एवं लागत	02.02.2024

अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
रिक्त स्थल (आवासीय), प्लॉट नं. 137, खसरा नंबर 66/1/1,68,69,115/69/1 एवं 66/22/1 पर स्थित, क्षेत्रफल 4000 वर्ग फुट, वार्ड नं. 49, मुख्य सड़क के अंदर, ग्राम चूनाभट्ठी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्वर्गीय सरस्वती देवी परिहार के नाम पर और इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तर की ओरः सड़क 40 फीट, दक्षिण की ओरः दीपक सोसायटी, पूर्व की ओरः मकान नंबर 136, पश्चिम की ओरः दीपक सोसायटी खुली भूमि	रु. 2,30,00,000/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)	रु. 23,00,000/- (रुपये तेईस लाख मात्र)

नीलामी कार्यक्रम का विवरण :

सम्पत्ति का निरीक्षण	: 05.04.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप.
बोली जमा करने की अन्तिम तिथि	: 16.04.2024
ई-नीलामी की तिथि	: 17.04.2024 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. (5 मिनट के प्रत्येक असीमित विस्तार सहित)

बिक्री के नियम एवं शर्तें :

1. सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं की जाएगी तथा बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (आरएआरसी) की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को कठोरता से **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "आश्रय रहित"** के आधार पर बेचा जाएगा।
2. ई-नीलामी आरएआरसी के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइटः **https://www.Auctionbazaar.com** (आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल) पर आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र के साथ-साथ ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें वेबसाइटों **www.rarcl.com** तथा **https://www.Auctionbazaar.com** पर उपलब्ध हैं, इच्छुक बोलीदाता प्रासंगिक दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाताओं के पास एक वैध ईमेल आईडी होना आवश्यक है क्योंकि ई-नीलामी एजेंसी द्वारा पार्टिसिपेशन आईडी और पासवर्ड केवल उनके ई-मेल आईडी पर ही सूचित किया जाएगा।
4. बोलीदाता को अनिवार्य रूप से भारतीय शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत वचन पत्र देना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी प्रेषण विवरण के साथ स्व-सत्यापित केवाईसी दस्तावेजों (पैन, आधार कार्ड इत्यादि) के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी बोली जमा करनी होगी और इसे रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी) के अधिकृत अधिकारी के पास 11वीं मंजिल, नॉर्थ साइड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 पर और ईमेल द्वारा **Narendra.r.shukla@relianceada.com** तथा **vinod.pawaskar@relianceada.com** पर जमा करना होगा जिसके बाद पीटीसिपेशन आईडी और पासवर्ड केवल उनके ईमेल पर सूचित किया जाएगा। बोली प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **16.04.2024** है। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोली फॉर्म या ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी के बिना बोली और आरक्षित मूल्य से नीचे की बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
6. नेटवर्क व्यवधान के कारण बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता के लिए न तो आरएआरसी और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक पावर बैक-अप आदि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें।
7. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से चालू खाता संख्या 6508713105, बैंक का नामः इंडियन बैंक, शाखाः सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई -400 054, लाभार्थी का नामः आईएनबी आरएआरसी 030 ट्रस्ट, आईएफएससी कोडः **IDIB000S010** में जमा की जाएगी।। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. आरक्षित मूल्य से कम और/या ईएमडी राशि के बिना बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाता अपनी आगे की बोली राशि को रु. 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) के गुणक में सुधार सकते हैं। एकमात्र बोली लगाने वाले के मामले में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली में न्यूनतम एक वृद्धि करके सुधार करना होगा।
9. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के 15 दिनों के भीतर बोली राशि/बिक्री मूल्य का शेष 75% जमा करना होगा।
10. यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है, तो ईएमडी सहित सभी जमा राशि बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, शेष 75% का भुगतान करने के लिए आगे उचित अवधि के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है और यह प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा।
11. ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
13. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना किसी पूर्व सूचना या कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/आस्थगित करने/रद्द करने या बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक है।
14. बोलीदाताओं को संपत्ति पर शुल्क/बाधाओं के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, सीमा, गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद शुल्क, संपत्ति पर ऋणभार और किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क सहित कोई भी बकाया, बकाया, कर, शुल्क, चाहे वैधानिक हो या अन्यथा, केवल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। लॉट नंबर 1 की संपत्ति के संबंध में - रखरखाव का कोई अन्य बकाया, सोसायटी का अन्य बकाया, बिजली बकाया या कोई कर सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा और कंपनी किसी भी बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं है।
16. अधिक जानकारी के लिए, उपरोक्त पते पर रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के श्री नरेंद्र शुक्ला, सहायक उपाध्यक्ष संकल्प, मोबाइल नंबर-9321339065 और श्री विनोद पावस्कर, हेड-लीगल, मोबाइल नंबर-8080722836 से संपर्क करें।
17. बिक्री प्रमाणपत्र संपूर्ण बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति और प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। ई-नीलामी में बोली जमा करने/भाग लेने वाले व्यक्ति के अ